

मै. कान्टा एस्टेट्स लि. अहमदाबाद vs सुनीलदास

सहायक कमिश्नर (फा. ए. ट्रेड) आगरा
मुंबई-जयपुर

दिनांक 43/2024

दिनांक आशा या कार्यवाही	आशा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
18/7/24	<p>थट दावा अधिवक्ता वादी ने उपस्थित होकर विभाजन व स्थाई निषेधाज्ञा के आशय का पत्रा किया। रिपोर्ट कार्यालय से तलब की गई। अधिवक्ता वादी द्वारा तत्काल सुनवाई हेतु निवेदन किया। अतः वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अधिवक्ता वादी को सुना गया।</p> <p>यौशने सुनवाई प्रस्तुत राजपत्र रिपोर्ट के अवलोकन से थट स्पष्ट हुआ है कि वादपत्र के अधीन उल्लिखित भूमि मैसर्स कान्टा एस्टेट्स के नाम एकल स्वतंत्रता में दर्ज है। इस प्रकार वादी (फर्म) एक मात्र स्वतंत्रता दर्ज अधिकृत है तथा भूमि के संदर्भ में कोई दूसरे स्वतंत्रता दर्ज अधिकृत नहीं है। जिससे एकल स्वतंत्रता के रूप में भूमि को विभाजन व स्थाई निषेधाज्ञा का अनुलोप अपेक्षित है। इसी स्थिति में वाद पोषणीय नहीं पाते हैं। इसके प्रतीति में वादी द्वारा कम्पनी अधि. अनुसार वाद प्रस्तुती की अधिफूतता भी प्रस्तुत नहीं की गई है। अतः तथा के अस्तित्वात् वाद वादी स्वीकार योग्य नहीं होने से खारिज किया जाता है। निर्णय सुनाया गया।</p> <p>पत्रावली फेरुल 20 नंबर होकर दर्ज नम्बर से कम है। वाद रकमील थावल 4000 है।</p>	

सहायक कमिश्नर (फा. ए. ट्रेड) आगरा
मुंबई-जयपुर